पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 299/अका./का.प/2022 रायपुर, दिनांक 04/01/2022

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बासठवीं बैठक मंगलवार दिनांक 11.01.2022 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.12.2021 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।**
   (पृष्ठ क्र 1 से 5 तक)

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

2. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03.12.2021 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. **वित्तीय सत्र 2021–22 के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में रुपए 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) राशि स्थानांतरण के कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचार करना।**

   टीप : सत्र 2021–22 के बजट में A General Administration के सरल क्रमांक 20 में Additional Provision For Land Acquisition में प्रावधानित राशि रुपए 200.00 लाख (दो सौ लाख मात्र) से चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में राशि रुपए 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) स्थानांतरित कर पुनर्विनियोजन किया गया, तद्नुसार कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

4. **विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्यावधि में वृद्धि किए जाने पर विचार करना।**

   टीप : New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur द्वारा प्रस्तुत दर न्यूनतम होने के कारण विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था का कार्य 01 वर्ष (दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 31.12.2021 तक) के लिए पत्र क्र. 416/विकास/सु.व्यव./2020 रायपुर, दिनांक 31.12.2020 के द्वारा आदेशित किया गया था।

   विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अनुबंध की कंडिका 02 के अनुसार संबंधित फर्म का कार्य संतोषजनक होने पर एक वर्ष के लिए (अधिकतम तीन वर्ष) बढ़ाए जाने का प्रावधान है। विगत वर्ष एजेंसी का कार्य संतोषप्रद पाया गया। अतः अनुबंध की शर्तों के अधीन (दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक) विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

5. **वेबसर्वर एवं एंटीवायरस सर्वर के वार्षिक रख–रखाव के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : विश्वविद्यालय वेबसर्वर एवं एंटीवायरस सर्वर के वार्षिक रख–रखाव हेतु निविदा सूचना क्र. 372/Dev/2021 Raipur, Date 17/08/2021 जारी किया गया था, जिसमें एक भी निविदा प्राप्त नहीं हुआ। पुनः द्वितीय निविदा सूचना क्र. 562/Dev/2021 Raipur, Date 27/11/2021 जारी किया गया, परंतु एक भी निविदा प्राप्त नहीं हुआ।

विश्वविद्यालय वेबसर्वर एवं एंटीवायरस सर्वर के वार्षिक रख–रखाव कार्य अतिआवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। वर्तमान में विश्वविद्यालय वेबसर्वर एवं एंटीवायरस सर्वर के वार्षिक रख–रखाव कार्य M/s Key Computer, 420A, Khare Town, Dharampeth, Nagpur-10 द्वारा किया जा रहा है, जिसका कार्यकाल दिनांक 12/09/2021 को समाप्त हो चुका है।

अतः कार्य की आवश्यकता को देखते हुए उक्त फर्म के कार्यकाल को कार्यपरिषद् से अनुमोदन की प्रत्याशा में आदेश क्र. 615/विकास/2021 रायपुर दिनांक 24.12.2021 के द्वारा 06 माह के लिए (दिनांक 13.09.2021 से 06 माह) बढ़ाया गया है। अतः कार्योत्तर स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत है।

6. **विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था के संबंध में अनुबंध की शर्तों के अधीन कार्यावधि में वृद्धि किए जाने पर विचार करना।**

<u>टीप</u> : New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur द्वारा प्रस्तुत दर न्यूनतम होने के कारण विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था का कार्य हेतु 01 वर्ष (दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 31.12.2021 तक) के लिए पत्र क्र. 418/विकास/सफाई कार्य/2020 रायपुर, दिनांक 31.12.2020 के द्वारा आदेशित किया गया था।

विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अनुबंध की कंडिका 02 के अनुसार संबंधित फर्म का कार्य संतोषजनक होने पर एक वर्ष के लिए (अधिकतम तीन वर्ष) बढ़ाए जाने का प्रावधान है। विगत वर्ष एजेंसी का कार्य संतोषप्रद पाया गया। अतः अनुबंध की शर्तों के अधीन (दिनांक 01/01/2022 से 31.12.2022 तक) विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ–सफाई व्यवस्था हेतु कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

7. **शासकीय जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को भूगोल विषय में शोध–केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में शोध उपाधि समिति की बैठक दिनांक 24.12.2021 की अनुशंसानुसार अस्थाई मान्यता प्रदान करने संशोधित विनियम 107 की कंडिका 08 के प्रावधान के अनुमोदन पर विचार करना।**

<u>टीप</u> : भूगोल विषय की शोध उपाधि समिति (RDC) की बैठक दिनांक 24.12.2021 के निर्णयानुसार शासकीय जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को भूगोल विषय में शोध–केंद्र की मान्यता अस्थाई रूप से प्रदान किए जाने की अनुशंसा की गई है। (बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न) संशोधित विनियम क्रमांक–107 की कंडिका–08 के प्रावधानानुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

8. **वर्ष 2022 की परीक्षाओं के लिए गोपनीय मुद्रण के लिए मुद्रक के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।**

टीप : वर्ष 2022 की परीक्षा मार्च के तृतीय सप्ताह से प्रारंभ होना संभावित है। तत्संबंध में प्रश्नपत्र मुद्रण हेतु संबंधित 06 फर्मों से भावपत्र आमंत्रित किए गए हैं। सभी फर्मों द्वारा मुद्रण हेतु भावपत्र सीलबंद लिफाफे के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। जिन्हें A,B,C,D,E,F के रूप में चिंहित किया गया है। तुलनात्मक तालिका के आधार पर फर्म B की दरें न्यूनतम है।

अतः न्यूनतम दर वाली संस्थान B को वर्ष 2022 की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र मुद्रण कार्य के लिए अनुबंध किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

9. **विश्वविद्यालय के वर्ष 2015 में विज्ञापित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों, जिस पर चयन की प्रक्रिया नहीं हो सका था, उन पदों के लिए पुनः विज्ञापन जारी किए जाने विषयक।**

टीप : वर्ष 2015 में छ.ग. शासन से पद भरने की अनुमति प्राप्त होने पर इस विश्वविद्यालय के विज्ञापन क्रमांक 1790/स्था./सा.प्रशा./2015, दिनांक 30.05.2015 एवं विज्ञापन क्रमांक 2853/स्था./सा.प्रशा./2015, दिनांक 10.08.2015 के द्वारा शैक्षणिक एवं प्रथम, द्वितीय श्रेणी के अशैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु पद विज्ञापित किया गया था।

उक्त विज्ञापन के तहत नियुक्ति प्रक्रिया की गयी थी। जिस पर कुछ शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है। तथा कुछ पदों हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुए, कुछ पदों हेतु योग्य अभ्यर्थी नहीं पाए गए तथा कुछ पदों पर चयनित अभ्यर्थी द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किया गया था। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान छ.ग. शासन वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर के पत्र क्रमांक 161/F-2015-04-2007/ब–4/चार, दिनांक 02.05.2017 के द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किए गए थे। इस कारण नियुक्ति की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

दिनांक 19.01.2021 को मंत्रालय में हुई बैठक में आयुक्त महोदय तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें। इस बैठक में प्रक्रियागत रिक्त पदों को पुनः भरने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय हुआ था। इस संबंध में छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक 1892/3207/ 2013/38–2 दिनांक 04.02.2021 को विज्ञापित एवं प्रक्रियाधीन शैक्षणिक/अशैक्षणिक पदों को भरने की अनुमति विषयक विश्वविद्यालय को पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें वित्त निर्देश 13/2020 के निर्देशों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर का पत्र दिनांक 02.06.2020, वित्त निर्देश 13/2020 के कंडिका 2 में यह निर्देश है कि "जिन पदों के लिए वित्त विभाग से भर्ती की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, किंतु नियुक्ति शेष है उनके लिए भी वित्त विभाग की अनुमति पुनः प्राप्त की जाए।"

वित्त निर्देश 13/2020 में यह उल्लेख है कि– "ऐसे प्रकरणों में जिन पर वित्त विभाग की सहमति उपरांत भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उस पर क्या कार्यवाही की जावें? यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में **जहाँ भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है, किंतु नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाए।"**

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 1892/3207/2017/38–2, दिनांक 04.02.2021 एवं वित्त निर्देश 13/2020 क्रमांक 118/एफ–2015–04–02007/ब–4/चार, दिनांक 02.06.2020 के परिप्रेक्ष्य में भर्ती की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति के कार्यवाही विवरण के आधार पर वर्ष 2015 की विज्ञापित पदों में भर्ती के लिए रिक्त रह गए पदों पर पुनर्विज्ञापन का निर्णय लिया गया है। पुनर्विज्ञापन में आरक्षण संबंधी प्रावधान यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2015 में जारी विज्ञापन के तहत रिक्त रह गए विषयों/पदों (प्राध्यापक–10 पद, सह प्राध्यापक–22 पद, सहायक प्राध्यापक–19 पद) तथा अशैक्षणिक ((प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी)–10 पद) के लिए पुनर्विज्ञापन जारी किए जाने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

10. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

आदेशानुसार

(हस्ताक्षर) 4.1.22

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 900/अका./का.प/2022 **रायपुर, दिनांक 04/01/2022**

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

(हस्ताक्षर)

उप कुलसचिव (अका.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

①

क्रमांक : 598/अका./का.प/2021 रायपुर, दिनांक 07/12/2021

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की इकसठवीं बैठक शुक्रवार, दिनांक 03.12.2021 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1.	डॉ. (श्रीमती) प्रियंवदा श्रीवास्तव	– सदस्य	9.	डॉ. समीर ठाकुर	–	सदस्य
2.	डॉ. (श्रीमती) प्रीति के. सुरेश	– सदस्य	10.	श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	–	सदस्य
3.	डॉ. सी.डी. अगाशे	– सदस्य	11.	डॉ. एस.आर. गुप्ता	–	सदस्य
4.	डॉ. शैलेन्द्र सराफ	– सदस्य	12	डॉ. एम.एल. नायक	–	सदस्य
5.	डॉ. (श्रीमती) आभा रूपेन्द्र पाल	– सदस्य	13.	श्री सोनऊ राम नेताम	–	सदस्य
6.	डॉ. भजन सिंह छाबड़ा	– सदस्य	14.	डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव	–	सदस्य
7.	डॉ. के.एन. शर्मा	– सदस्य	15.	श्री द्वारिकाधीश यादव	–	सदस्य
8.	डॉ. ममता शर्मा	– सदस्य				

डॉ. गिरीशकांत पाण्डेय, कुलसचिव – सचिव

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.10.2021 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.10.2021 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को सातवाँ वेतनमान देने संबंधी निम्नांकित आदेश शासन द्वारा जारी किए गए हैं –
   (i) छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के वित्त निर्देश 50/2018, पत्र क्र. 788/F-01002199/L-11-2/ब–4/चार दिनांक 05.09.2018
   (ii) छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र एफ 5–1/2021/38–2 दिनांक 06.10.2021

   उक्त आदेशों के अनुक्रम में

   दिनांक – 01.01.2016 से 31.03.2017 रु. 2,01,94,396 (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त)

   दिनांक – 01.07.2018 से 31.08.2018 रु. 26,93,820 (दो माह का नगद भुगतान)

   योग – रु. 2,28,88,216

   एरियर्स राशि भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

4. श्री परदेशी राम भोई, कनिष्ठ अधीक्षक के सेवा में बहाली पश्चात् वेतन का नियमन किए जाने के फलस्वरूप वेतन की राशि रु. 55,60,790.00 (रुपए पचपन लाख साठ हजार सात सौ नब्बे मात्र) के भुगतान एवं नियमानुसार कटौती करने पर विचार करना।

निर्णयः **स्वीकृति प्रदान की गई।**

5. स्व. श्री बंशी लाल टेकाम, प्रथम श्रेणी लिपिक, वित्त विभाग के आकस्मिक निधन होने के कारण सी.पी.एस. खाता से राशि रु. 7,29,250.00 (रुपए सात लाख उंतीस हजार दो सौ पचास मात्र) का अंतिम भुगतान किए जाने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय :**स्वीकृति प्रदान की गई।**

6. श्री नारायण प्रसाद, सेवानिवृत्त भृत्य, नामांकन विभाग के सी.पी.एफ. खाता का अंतिम भुगतान राशि रु. 6,54,799.00 (रुपए छः लाख चौवन हजार सात सौ निन्यानवे मात्र) का अंतिम भुगतान किए जाने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय :**स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>एन.सी.एन.आर. से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

7. एन.सी.एन.आर. में स्थापित एन.एम.आर. मशीन के लिए रु. 5,15,424=00 (रुपए पाँच लाख पंद्रह हजार चार सौ चौबीस मात्र) की हीलियम खरीदी मेसर्स, ब्रूकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई से किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

8. डॉ. विशाल जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, फार्मेसी संस्थान को पात्रता अनुसार (दिनांक 06.05.2021 से 12.09.2021 तक 130 दिन लघुकृत अवकाश (260 HPL) एवं दिनांक 13.09.2021 से 11.10.2021 तक 29 दिन अर्जित अवकाश) कुल 159 दिनों की अवकाश स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **स्वीकृति प्रदान की गई।**

<u>यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

9. विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति के लिए दो सदस्यों के नामांकन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **समिति में दो सदस्यों के नामांकन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।**

<u>पूरक विषयसूची</u>

1. विश्वविद्यालय विद्या–परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02.12.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः **अनुमोदन किया गया।**

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु निम्नलिखित आदेशों को जारी दिनांक से विश्वविद्यालय में अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।

   i. एफ 9–1/2008/1–3, रायपुर दिनांक 28.11.2011
   ii. एफ 9–1/2008/1–3, रायपुर दिनांक 01.02.2013
   iii. एफ 7–1/2012/1–3, रायपुर दिनांक 14.06.2013
   iv. एफ 7–1/2012/1–3, रायपुर दिनांक 30.04.2016
   v. एफ 7–1/2012/1–3, रायपुर दिनांक 22.03.2016
   vi. एफ 7–1/2012/1–3, रायपुर दिनांक 29.08.2016
   vii. एफ 7–1/2012/1–3, रायपुर दिनांक 13.10.2017
   viii. एफ 9–4/2012/1–3, रायपुर दिनांक 31.01.2018
   ix. एफ 7–1/2019/1–3, रायपुर दिनांक 23.02.2019
   x. एफ 7–1/2019/1–3, रायपुर दिनांक 08.08.2019
   xi. एफ 7–1/2012/1–3, रायपुर दिनांक 30.07.2020
   xii. एफ 1–1/2017/1–3, रायपुर दिनांक 08.03.2021
   xiii. एफ 7–1/2012/1–3, रायपुर दिनांक 10.06.2021

निर्णयः **अंगीकृत करने का अनुमोदन किया गया।**

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

3. वित्तीय वर्ष 2015–16 के विश्वविद्यालय अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा आक्षेपित कुल 41 कंडिकाओं का निराकरण कर तैयार किए गए प्रतिवेदन के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय, उपसंचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, रायपुर को आक्षेपित कंडिकाओं को विलोपित किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **अनुमोदन किया गया।**

संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

4. क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 26.11.2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णयः **अनुमोदन किया गया।**

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. विश्वविद्यालय के कुलपति निवास के पीछे वाहन शेड निर्माण हेतु प्राक्कलन राशि रु. 12,20,783/– (रुपए बारह लाख बीस हजार सात सौ तिरासी मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।**

A

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

01. महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, समता कॉलोनी, रायपुर में संचालित B.Voc. (Interior Design) के प्रथम वर्ष में प्रवेश से वंचित छात्र–छात्राओं को शिक्षा सत्र 2021–22 से प्रवेश की अनुमति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णयः **विशेष परिस्थिति के रूप में छात्रहित में प्रवेश की विशेष अनुमति प्रदान की गई।**

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

02. विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में रुसा योजना के तहत रेनोवेशन कार्य हेतु प्राक्कलन राशि रु. 71,98,412/– (रुपए इकहत्तर लाख अंठानबे हजार चार सौ बारह मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। कुल राशि में से रु. 42.66 लाख रुसा मद से तथा शेष अतिरिक्त राशि रु. 29,32,412/– (रुपए उंतीस लाख बत्तीस हजार चार सौ बारह मात्र) का व्यय विश्वविद्यालय मद से किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **अनुमोदन किया गया।**

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

03. विश्वविद्यालय में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड इक्जामिनेशन भवन (1000 छात्र क्षमता) निर्माण हेतु अनुबंधित वास्तुविद् से प्राप्त प्राक्कलन राशि रु. 8,65,00,000/– (रुपए आठ करोड़ पैंसठ लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यपालन अभियंता के समकक्ष पद के यंत्री की प्रतिनियुक्ति राज्य शासन से प्रतीक्षित है अतः शीघ्र निर्माण की आवश्यकता की दृष्टि से इस कार्य को लोक निर्माण विभाग से करवाया जा सकता है।**

04. विश्वविद्यालय में प्रस्तावित गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु अनुबंधित वास्तुविद फर्म, श्रीवास्तव बागरेचा एंड एसोसिएट्स, रायपुर द्वारा प्रस्तुत ड्राइंग डिजाइन एवं विस्तृत प्राक्कलन राशि रु. 3,74,11,000/– (रुपए तीन करोड़ चौहत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यपालन अभियंता के समकक्ष पद के यंत्री की प्रतिनियुक्ति राज्य शासन से प्रतीक्षित है अतः शीघ्र निर्माण की आवश्यकता की दृष्टि से इस कार्य को लोक निर्माण विभाग से करवाया जा सकता है।**

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति अध्यक्ष	कुलसचिव सचिव

(3)

पृ. क्रमांक : 599 /अका./का.प/2021 रायपुर, दिनांक 07 /12/2021

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

शोध उपाधि समिति का कार्यवृत्त

(6) शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर को भूगोल विषय में शोध केन्द्र की मान्यता विषयक आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

महाविद्यालय को NAAC द्वारा 'B' ग्रेड की मान्यता प्रदान की गई है। पुस्तकालय में शोध की ~~पुस्तक~~ उपयोगी पुस्तकें पर्याप्त हैं। छात्रों के लिए इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।

~~शीघ्र~~ शीघ्र ही शोध छात्रों के लिए पर्याप्त जर्नल की सुविधा उपलब्ध कराने की शर्त पर महाविद्यालय को 3 वर्ष के लिए अस्थाई रूप से शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

24/12/21
(Prof. Uma Gole)
Head, SoS

24.12.21
(Prof. A. Baghel)
Dean, Chairman BoS

24/12/2021
(Prof. V. C. Jha)
External Expert

(Dr. K. L. Verma)
V.C.